न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 11 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024 / 191

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. भैरूसिंह पिता रूप सिंह राजूपत निवासी बागड़ तहसील रायपुर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जाकिर हुसैन रंगरेज, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

:निर्णयः

दिनांक–19.08.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 104 में अंकित आ.स. 415 रकबा 0.13 हेक्ट. आ.स. 416 रकबा 0.35 हैक्ट. आ.स 418 रकबा 0.45 हैक्ट. आ.स. 419 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबंदी एव नक्शा ट्रेश प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम सख्या एक में वर्णित प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र कदीमी रास्ता ग्राम कारोल जाने वाली ग्रेवल सडक जो बिलानाम आ.स. 433 में बनी हुई हैं से लगता हुआ 20 फिट चौडा रास्ता बिलानाम आ.स. 428 की उत्तरी पाली से होता हुआ आगे बिलानाम आ.सं. 429 की उत्तरी पाली से होता हुआ आगे बिलानाम आ.सं. 430 की उत्तरी पाली से होता हुआ प्रार्थी की आ.स. 419 में जाता है जिससे प्रार्थी व उसके पूर्व खातेदारान अपनी आ.स. 419 व अन्य आराजियात में आवागमन कर काश्त कर रहे हैं। मौके पर रास्ता चालु हैं। प्रार्थी व उक्त आराजियात के पूर्व खातेदारान वर्षों से अपनी उक्त आराजीयात में आवागमन करते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज, बैल, गाडी. ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते हैं। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कारोल में स्थित कृषि आराजियात संख्या 419 में आवागमन के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 428, 429, 430 की उत्तरी पाली पर स्थित 20 चौड़ा रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 433 में स्थित ग्रेवल सड़क से प्रार्थी की भूमि तक राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश तहसीलदार को प्रदान फरमाया जाकर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी.दर की राशि राजकोष में जमा कर विपक्षी को अदा करने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

सहायक कलक्टर

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 भूमि ग्राम कारोल में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 415, 416, 418, 419 तक बंरग हरा चौड़ा रास्ता 20 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

04. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो आपति नहीं है।

05. हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 भूमि में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने जरिए पत्रांक/राजस्व/2025/939 दिनांक 29.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. उक्त अंकित आराजी 415, 416, 418, 419 में आने का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है तथा न ही मौके पर रास्ता है।

ii. मौके पर रास्ता नही है।

iii. आसपास के खातेदारो से एवं नाले की भूमि मे से आ जा रहे है।

iv. प्रार्थी ग्राम कारोल के बिलानाम आराजी संख्या 428, 429, 430 में वर्तमान में आ जा रहे है। इसलिए बिलानाम आराजी संख्या 428 रकबा 0.27 है0 मे से 120 लम्बर 6 मीटर चौड़ा अर्थात 720 वर्गमीटर व आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0 मे से 72 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा अर्थात 432 वर्गमीटर व आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 मे से 10 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा अर्थात 60 वर्गमीटर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

v. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से अंकित है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना है।

vi. मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध नही है।

vii. द्वितीय पक्ष राज्य सरकार है।

viii. प्रस्तावित रास्ता की डी.एल.सी दर 14 1914/–रूपये प्रति है0 है जो राशि निम्नानुसार :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा	रास्ता भूमि	राशि	दुगुनी राशि
1	428	0.28	0.0720	10218	20436
2	429	1.10	0.0432	6131	12262
3	430	0.34	0.0060	851	1702
	योग		0.1212	17200	34400

हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

सहायक कलक्टर

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 415, 416, 418, 419 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.1212 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 428, 429, 430 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

07. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6)

सहायक कलक्टर

विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0.1212 है0 की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–141914 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 34400/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम कारोल तहसील रायपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 415, 416, 418, 419 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0 मे से 0.0720 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0 मे से 0.0432 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 मे से 0.0060 भूमि संलग्न नक्शानुसार रकबा 0.1212 है0 भूमि उत्तरी पाली पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 34400/–(अक्षरे चौतीस हजार चार सौ) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी–
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

03\. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 भूमि ग्राम कारोल में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 415, 416, 418, 419 तक बंरग हरा चौड़ा रास्ता 20 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

04\. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है, तो आपति नहीं है।

05\. हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 भूमि में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने जरिए पत्रांक/राजस्व/2025/939 दिनांक 29.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. उक्त अंकित आराजी 415, 416, 418, 419 में आने वाली का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है तथा न ही मौके पर रास्ता है।

ii. मौके पर रास्ता नही है।

iii. आसपास के खातेदारो से एवं नाले की भूमि मे से आ जा रहे है।

iv. प्रार्थी ग्राम कारोल के बिलानाम आराजी संख्या 428, 429, 430 में वर्तमान में आ जा रहे है। इसलिए बिलानाम आराजी संख्या 428 रकबा 0.27 है0 मे से 120 लम्बर 6 मीटर चौड़ा अर्थात 720 वर्गमीटर व आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0 मे से 72 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा अर्थात 432 वर्गमीटर व आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 मे से 10 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा अर्थात 60 वर्गमीटर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

v. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से अंकित है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना है।

vi. मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध नही है।

vii. द्वितीय पक्ष राज्य सरकार है।

viii. प्रस्तावित रास्ता की डी.एल.सी दर 14 1914/–रूपये प्रति है0 है जो राशि निम्नानुसार :–

क.स.	आराजी संख्या	रकबा	रास्ता भूमि	राशि	दुगुनी राशि
1	428	0.28	0.0720	10218	20436
2	429	1.10	0.0432	6131	12262
3	430	0.34	0.0060	851	1702
	योग		0.1212	17200	34400

हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हमे धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है, जिसके अनुसारः–

न्यायालय सागरिशाला

विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0.1212 है0 की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–141914 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 34400/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम कारोल तहसील रायपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 415, 416, 418, 419 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 428 रकबा 0.28 है0 मे से 0.0720 है0, आराजी संख्या 429 रकबा 1.10 है0 मे से 0.0432 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.34 है0 मे से 0.0060 भूमि संलग्न नक्शानुसार रकबा 0.1212 है0 भूमि उत्तरी पाली पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 34400/–(अक्षरे चौतीस हजार चार सौ) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा